न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या– 144 / 2015–16

श्री भरत सिंह

बनाम

सरकार आदि

उपस्थित : श्री विजय कुमार ढौंडियाल, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री गिरीश भांमरी

अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता : श्री विलियम अकबर चन्द

बावत

खसरा नं0 1395 / 1416 रकवा 0.792
एकड़ मौजा कण्डोली,
परगना पछवादून, जिला देहरादून।

निर्णय

यह निगरानी सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर द्वारा वाद संख्या–40 / 13–14 अन्तर्गत धारा–229बी जंमीदारी विनाश अधिनियम भरतसिंह बनाम उत्तराखण्ड सरकार में पारित आदेश दिनांक 02–11–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

वाद का संक्षिप्त विवरण यह है कि अवर न्यायालय मे विचाराधीन वाद में 16–06–2014 को निषेधज्ञा आदेश पारित किया गया था, दिनांक 02–11–2015 को विद्वान सहायक कलेक्टर द्वारा पक्षकारों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने तथा प्रस्तुत लिखित बहस का संज्ञान लेते हुए निषेधज्ञा आदेश दिनांक 16–06–2014 निरस्त किया गया, इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं अवर न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता का मुख्य तर्क यह था कि भूमि खसरा नं0–1395 / 1416 रकवा 0.792 एकड़ स्थित मौजा कण्डोली के मूल खातेदार गुलाब सिंह, प्रेम सिंह, राजेन्द्र सिंह थे जिसमें से खातेदार प्रेमसिंह की मृत्यु के बाद उनके वारिस विद्यादेवी तथा राजेन्द्र के देहान्त के बाद उसका एकमात्र पुत्र विजय सिंह स्वामी हुआ। यह कि निगरानी में प्रतिवादी संख्या–3 के पति स्व0 देवेन्द्र सिंह सहगल ने उक्त भूमि का विक्रय पत्र द्वारा मुख्तारे आम दिनांक 12–09–2003 को अपने नाम किया। भूमि का आपस में तय किया गया लेन–देन समय पर न होने के कारण प्रतिवादी संख्या–3 के पति ने 02 बीघा भूमि का विक्रय पत्र वादी के नाम कर दिया, तथा वादी से तय किया गया कि वर्तमान मूल्य के हिसाब से इस सम्पूर्ण भूमि को तुम ही रख लो और मुझे रूपया दे दो। वादी द्वारा उस समय के मूल्य के हिसाब से प्रतिवादी नं0–3 के पति को भुगतान कर दिया जिसकी रसीद दिनांक

31–07–2008 को प्रतिवादी नं–3 के पति ने लिख कर दी है। प्रतिवादी नं–3 ने बन्दोबस्त सेलाकुई से जो वादी के नाम पर अधिक रकवा चढ़ा है उसकी कीमत वादी ने प्रतिवादी नं0–3 के पति को दे दी थी जो कि अब जबरदस्ती दबाव बनाकर उसके कब्जे वाली भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहती है। अतः यदि निषेधज्ञा आदेश निरस्त किया जाता है तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी।

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता का कथन है कि विवादित भूमि श्री विजय सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह व श्रीमती विद्यादेवी पत्नी श्री सुल्तान सिंह द्वारा मुख्तारे आम भरत सिंह से पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 12–09–2003 से क्रय की है तथा तब से प्रतिवादी का उक्त भूमि पर कब्जा व काश्त निरन्तर चला आ रहा है तथा देवेन्द्र सिंह सहगल की मृत्यु के उपरान्त इनके वारिस श्रीमती पूनम सहगल वादग्रस्त भूमि पर काबिज है जिसमें उनके द्वारा वाउण्ड्रीवाल तथा गेट लगाया हुआ है। यह कि वादी के अनुरोध पर कि वह देवेन्द्र सिंह सहगल से 75×225 फीट भूमि लेना चाहता है जिसके लिये वह विक्रय मूल्य अदा करने हेतु तैयार है पर देवेन्द्र सहगल ने 75×225 फीट भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 19–05–2005 को वादी के हक में निष्पादित कर दिया तथा कब्जा भी वादी को दे दिया तथा शेष भूमि 75×225 फीट अपने पास रख ली।

यह कि वादी को जब पता चला कि देवेन्द्र सहगल की मृत्यु हो चुकी है तो वादी ने एक फर्जी व कूटरचित रसीद दिनांक 31–07–2008 को तैयार कर प्रतिवादी नं0–3 के पति स्व0 देवेन्द्र सिंह की भूमि को लेना दर्शाया गया है जिसके आधार पर वाद सहायक कलेक्टर के समक्ष योजित किया गया है। इसी आधार पर दिनांक 18–02–2015 को वादी व उनके साथियों द्वारा भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश की गई जिसकी रिपोर्ट थाना प्रेमनगर में की गई तथा वादी के विरूद्ध मु0अ0सं0–96/15 थाना प्रेमनगर के अन्तर्गत दर्ज किया गया। चूँकि वादी द्वारा अवर न्यायालय में घोषित घोषणात्मक वाद गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जिस कारण अवर न्यायालय द्वारा निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 16–06–2014 को निरस्त करने में कोई त्रुटि नही की गई है तथा निगरानी निरस्त की जाए।

मैंने अवर न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान सहायक कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–11–2015 का परीशीलन किया। विद्वान सहायक कलेक्टर ने अपने आदेश में यह उल्लिखित किया है कि पक्षकारों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने के उपरान्त वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस व प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के उपरान्त निषेधज्ञा आदेश को वाद के निस्तारण तक बढ़ाये जाने का कोई पर्याप्त आधार नही है। पत्रावली पर उपलब्ध नकल खतौनी से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वादी के नाम अंकित नही है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम अंकित है। ऐसी दशा में निषेधज्ञा आदेश वाद के निस्तारण तक बढ़ाया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। 229डी में भी यह व्यवस्था है कि न्यायालय अस्थाई व्यादेश दे सकता है किः–

(क) कि किसी सम्पत्ति, वृक्ष अथवा फसल को, जो विवादग्रस्त भूमि पर खड़ी हो, बेकार जाने, नुकसान होने अथवा वाद के किसी पक्ष द्वारा अन्तरित किये जाने का भय है, अथवा

(ख) कि वाद का कोई पक्षकार न्याय के लक्ष्य को नष्ट करने के लिए उक्त सम्पत्ति, वृक्ष अथवा फसलों को हटाने की अथवा निस्तारित करने की धमकी देता है, अथवा ऐसा करने का इरादा रखता है।

अवर न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई तथ्य/साक्ष्य परिलक्षित नही होता है जो उपरोक्त बिन्दुओं की पुष्टि करता हो। चूँकि खतौनी में भी वादग्रस्त सम्पत्ति प्रतिवादगणों

के नाम दर्ज है और व्यादेश पारित करने से पूर्व तुला का संतुलन देखा जाना आवश्यक है। विद्वान सहायक कलेक्टर द्वारा भली–भांति परीक्षणोपरान्त आदेश दिनांक 02–11–2015 पारित किया गया है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है।

आदेश

बलयुक्त होने के कारण निगरानी निरस्त की जाती है। अवर न्यायालय का आदेश दिनांक 02–11–2015 यथावत रखा जाय। अवर न्यायालय की पत्रावली वापस हो तथा इस न्यायालय की पत्रावली संचित हो।

15/1/16

(विजय कुमार ढौंडियाल)
सदस्य(न्यायिक)

आज दिनांक 15/1/16 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

15/1/16

(विजय कुमार ढौंडियाल)
सदस्य(न्यायिक)